



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-12122025-268444
CG-OR-E-12122025-268444

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5550] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 11, 2025/ अग्रहायण 20, 1947

No. 5550] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 11, 2025/ AGRAHAYANA 20, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुबनेश्वर, 11 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5738(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम १९८९ (१९८९ का २४) की धारा २ के खंड ७(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ओडिशा राज्य में एतद्वारा निचे दी गई तालिका के स्तम्भ (२) में वर्णित अधिकारियों के स्तम्भ (३) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र के सम्बन्ध में इस तरह कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

तालिका

क्रम. सं.	सक्षम प्राधिकारी का नाम	विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	तहसीलदार, टांगी चौद्हार	खुर्दा रोड (केयूआर) सेक्शन के अंतर्गत बईरी(बीवाइवाइ)-कपिलास रोड(केआईएस) के बीच किमी 387/31-388/1 पर मानवयुक्त नियंत्रण रेखा संख्या 171 को बंद करने के बदले में सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।
2.	तहसीलदार,	खुर्दा रोड (केयूआर) सेक्शन के अंतर्गत कपिलास रोड(केआईएस)-निर्गुडी(एनआरजी) के बीच

	टांगी चौद्वार	किमी 395/31-33 पर मानवयुक्त नियंत्रण रेखा संख्या 175 को बंद करने के बदले में सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।
3.	तहसीलदार, टांगी चौद्वार	खुर्दा रोड (केयूआर) सेक्शन के अंतर्गत कपिलास रोड(केआईएस)-निर्गुंडी(एनआरजी)(निर्गुंडी यार्ड) के बीच किमी 397/23-25 पर मानवयुक्त नियंत्रण रेखा संख्या 176 को बंद करने के बदले में सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।
4.	तहसीलदार, कटक सदर	खुर्दा रोड (केयूआर) सेक्शन के अंतर्गत केंद्रापड़ा रोड(केएनपीआर)-कटक(सीटीसी) के बीच किमी 408/06-08 पर मानवयुक्त नियंत्रण रेखा संख्या 177 को बंद करने के बदले में सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।
5.	तहसीलदार, आठगढ़	खुर्दा रोड (केयूआर) सेक्शन के अंतर्गत घंटिकाल यार्ड के बीच किमी 432/32-34 पर मानवयुक्त नियंत्रण रेखा संख्या JB-07 को बंद करने के बदले में सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।

[फा. सं. सीएओ/सीओएन/आरएसपी/बीबीएस/2025/05 आरओबी/ओडिशा/2(7ए)]

सुधीर कुमार परिडा, मुख्य अभियंता(निर्माण-III)

MINISTRY OF RAILWAYS

[East Coast Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 11th December, 2025

S.O. 5738(E).—In exercise of the powers, conferred by Clause 7(A) of Section-2 of the Railways Act, 1989(24 of 1989) the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column(2) of the Table below as the Competent Authority to perform the function of such authority under said Act in respect of area of the Special Railway Project mentioned in column(3) of the Table below in the State of Odisha with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	Area of the Special Railway Project
(1)	(2)	(3)
1.	The Tahasildar, Tangi Choudwar	Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No.171 at Km 387/31-388/1 between Byree(BYY)-Kapilas Rd.(KIS) under Khurda Road (KUR) Section.
2.	The Tahasildar, Tangi Choudwar	Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No.175 at Km 395/31-33 between Kapilas Rd.(KIS)-Nirgundi(NRG) under Khurda Road (KUR) Section.
3.	The Tahasildar, Tangi Choudwar	Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No.176 at Km 397/23-25 between Kapilas Rd.(KIS)-Nirgundi(NRG) (Nirgundi Yard) under Khurda Rd.(KUR) Section.
4.	The Tahasildar, Cuttack Sadar	Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No.177 at Km 408/06-08 between Kendrapara Rd.(KNPR)-Cuttack(CTC) under Khurda Road (KUR) Section.
5.	The Tahasildar, Athagarh	Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No.JB-07 at Km 432/32-34 between Ghantikal Yard under Khurda Rd.(KUR) Section.

[F. No. CAO/CON/RSP/BBS/2025/05 ROB/Odisha/2(7A)]

SUDHIR KUMAR PARIDA, Chief Engineer (Cons.-III)